दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) 527/2014

निर्णय की तिथि: 25 अप्रैल, 2014

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद(एनसीईआरटी).. याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आनंद नंदन, अधिवक्ता।

बनाम

वेद प्रकाश ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री शंकर राजू और श्री नीलांश गौड़, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>

<u>केवियट सं.79/2014</u>

केवियटकर्ता का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसलिए केवियट खारिज की जाती है।

<u>सि.वि.सं.1063/2014 (छूट के लिए)</u>

अपवादों के आधार पर छूट की अनुमति है।

आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

<u>रि.या. (सि) 527/2014</u>

1. रिट याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा मू.अ. संख्या 1006/2013 में पारित दिनांक 6 नवंबर, 2013 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रत्यर्थी की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उस अवधि के विस्तार को चुनौती दी गई है, जिसके लिए उसे निलंबित किया गया था, जबकि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित थी। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 (1) के तहत 14 मार्च, 2012 के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी के निलंबन का 8 जून, 2012 को पुनर्विलोकन किया गया, जिसके तहत उसके निलंबन को अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए कानून के अनुसार अगला पुनर्विलोकन 7 सितंबर, 2012 को होना था। यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के निलंबन का पुनर्विलोकन करने में विफल रहा तथा उसने यह कार्यवाही 22 नवम्बर, 2012 को ही की। परिणामस्वरूप, दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के आदेश के माध्यम से

प्रत्यर्थी का निलंबन छह माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

2. प्रत्यर्थी के दिनांक 22 नवम्बर, 2012 के अभ्यावेदन में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 (6) और (7) के उल्लंघन की शिकायत की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दिनांक 14 मार्च, 2012 के आदेश जारी होने के बाद 90 दिनों से अधिक समय तक निलंबन जारी रखना कानूनी नहीं था, तथा उस पर अनुकूल विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी ने परिणामस्वरूप मू.अ. संख्या 1006/2013 दायर किया, जिसमें उसे ड्यूटी पर आने की अनुमति न देने के प्रत्यर्थी के कदम को चुनौती दी गई तथा प्रार्थना की गई कि 12 सितम्बर, 2012 के बाद की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी माना जाए।

3. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। हालाँकि, वर्तमान मामले में इन कार्यवाहियों की जाँच करना आवश्यक नहीं है।

4. हस्तक्षेप करने वाले एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2012 को प्रत्यर्थी को दूसरा आरोप पत्र जारी किया गया था।

दिनांक 1 अगस्त, 2013 के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता को दूसरी बार निलंबित किया गया। यह निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रत्यर्थी की ओर से मू.अ. संख्या 2741/2013 के माध्यम से एक अलग चुनौती का विषय है, जो लंबित बताई गई है। वर्तमान विचार और आदेश प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरे आवेदन में पक्षकारगण के अधिकारों और तर्कों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो अधिकरण के समक्ष लंबित है।

5. 8 जून, 2012 को प्रत्यर्थी के निलंबन का पुनर्विलोकन केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 (6) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर किया गया था और याचिकाकर्ता संभवतः 8 सितंबर, 2012 तक निलंबन के विस्तार के संबंध में कोई शिकायत नहीं कर सकता है। हालाँकि, 22 नवंबर, 2012 को किया गया दूसरा पुनर्विलोकन केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 (6) और (7) के तहत निर्धारित अवधि से बहुत आगे था और इसलिए अवैध था और संधार्य नहीं था।

मामले पर विचार करते समय, अधिकरण ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्यर्थी के निलंबन का वास्तव में कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर 8 जून, 2012 को पुनर्विलोकन किया

गया था। जहां तक आक्षेपित आदेश में 7 सितम्बर, 2012 तक के निलंबन से राहत प्रदान की गई है, वहीं आक्षेपित आदेश दिनांक 6 नवम्बर, 2013 में त्रुटि है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार मानते और निर्देश देते हैं:

(i) यह माना गया है कि 14 मार्च, 2012 से 14 सितम्बर, 2012 तक प्रत्यर्थी का निलंबन केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अनुसार था और वैध था।

(ii) दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के निलंबन की अवधि में विस्तार केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरन, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 (6) का उल्लंघन था और इसलिए यह धारणीय नहीं है तथा इसे अभिखंडित किया जाता है।

(iii) मू.अ. संख्या 1006/2013 में अधिकरण का दिनांक 6 नवंबर 2013 का आदेश संशोधित किया जाएगा और उपरोक्त निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) याचिकाकर्ता वर्तमान आदेश के अनुसार अपीलार्थी को देय राशि की गणना करेगा तथा आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को इसकी सूचना देगा। प्रत्यर्थी को बकाया राशि का भुगतान, यदि कोई हो, यदि

पहले नहीं किया गया है, तो आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

7. इस याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

<u>सि.वि. सं.1062/2014 (रोक के लिए)</u>

8. रिट याचिका में पारित आदेश के मद्देनजर, यह आवेदन विचारार्थ नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

25 अप्रैल, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*